

Agitation by Teachers of Kendriya Vidyalaya

*44. SHRI SHIV CHARAN SINGH:†

SHRI GOVINDRAM MIRI:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn towards a news-item captioned 'Kendriya Vidyalaya ke Shikashakon ne rally nikali' which appeared in the Nav Bharat Times, dated the 30th April, 1998;

(b) if so, the details of their demands;

(c) whether any negotiations have since been held/contemplated; and

(d) if so, the results thereof; and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

The captioned newsitem has come to the notice of the Government. The demands of the Kendriya Vidyalaya teachers have already been discussed with their delegation. Vice-Chairman, Kendriya Vidyalaya Sangathan met the representatives of Rashtriya Kendriya Vidyalaya Adhyapak Sangh (J) on 28.4.98 to receive a memorandum containing the demands and again on 26.5.98 when he discussed these demands. The details of the demands and their current position are as under:—

Issue raised by the Rashtriya Kendriya Vidyalaya Adhyapak Sangh (J)	Present Position
(1) <i>Amendment in PRT Scale (Entry, Senior and Selection Scale)</i>	(1) As this is perceived as an anomaly by the Sangh this may be raised in the National Anomaly Committee as per prescribed procedure.
(2) <i>Trained Graduate Teacher Grade to Yoga and Music Teachers</i>	(2) Proposal in respect of Yoga teachers is under active consideration of the Government. In respect of the Music teachers, a proposal has been received this month from the Kendriya Vidyalaya Sangathan which, inter-alia, involves creation of about 300 posts of Trained Graduate Teacher (Music) and is under process.
(3) <i>Physical Education Teachers at par with National Discipline Scheme Instructors</i>	(3) The matter is subjudice and is before the Hon'ble High Court of Delhi.
(4) <i>Implementation of Residency period (Primary Teacher and Trained Graduate Teacher - 10 and 8 years Post Graduate Teacher 8 and 6 years)</i>	(4) This relates to recommendations of the Fifth Pay Commission for all Central Government employees belonging to various departments. The matter is under consideration of the Government.
(5) <i>Restore 12 days Casual Leave and implement 30 days Earned Leave to all the teachers</i>	(5) Casual Leave and Earned Leave entitlements in the Kendriya Vidyalaya Sangathan are as per the Government of India rules for similarly placed Central Government employees.
(6) <i>Rs. 100/- (Rupees hundred) Medical Allowance as per recommendation of 5th Pay Commission (Husband and Wife both)</i>	(6) This is again a general issue pertaining to all Central Government employees of various Departments. The matter is under consideration of the Government.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Shiv Charan Singh.

Issue raised by the Rashtriya Kendriya Vidyalaya Adhyapak Sangh (J)	Present Position
(7) Additional increment for higher qualification to all the teachers	(7) Detailed proposal to be submitted by the Adhyapak Sangh.
(8) Surplus problem should be solved	(8) Changes occurring in the staff sanction for 1998-99 would be analysed by Kendriya Vidyalaya Sangathan to solve the problem of surplus teachers as quickly as possible.
(9) Allotment of Staff Quarters as per Central Government Rules (as per Basic Pay)	(9) The demand is genuine. Formal approval is under process.
(10) Lab. Assistant should be given equivalent grade at par with Primary Teachers	(10) The matter is subjudice and is before Central Administrative Tribunal, Calcutta.
(14) No Kendriya Vidyalaya teacher will receive less than the grade of State Government/Union Territories Teachers	(11) Kendriya Vidyalaya teachers are entitled to and are granted pay scale as applicable to teachers under Central Government.
(12) Post Graduate Teacher Selection Scale should be Rs. 10,00-15,200/- (Principal Scale)	(12) Justification has not been given by the Adhyapak Sangh.
(13) Abolition of 55 years age limit for Post Graduate Teachers to apply for Principalship and Education Officer in Kendriya Vidyalaya Sangathan.	(13) There is no age limit for promotions of existing employees to the posts of Principal and Education Officer. However, the age limit is prescribed and five year relaxation has been granted to the employees of Kendriya Vidyalaya Sangathan under the direct recruitment quota.

The Government have kept the doors of negotiation open to deal with genuine grievances of all the Kendriya Vidyalaya employees and this position has been made clear to the leaders of the delegation when they called on the Vice-Chairperson of Kendriya Vidyalaya Sangathan. It has been decided that the meetings of the Joint Consultative Machinery (KVS) will be held regularly in January and July every year.

श्री शिव चरण सिंह: माननीय मंत्री जी, जो उत्तर दिया गया है उसमें आपने केन्द्रीय विद्यालय संगठन के जो अध्यापक हैं, उनकी जो आर्गनाइजेशन है, उसकी मांगों का विवरण दिया है। यह सारा ऐक्शन जो है वह ज्वाइंट डाइरेक्टर लेवल पर, इन्होंने मेमोरैंडम 3.4.98 को दिया था और 29.4.98 को रिमाइंडर दिया था। फिर उन्होंने प्रदर्शन किया और उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पर वार्ता हुई है। उन्होंने यह जो उत्तर दिया है यह वही

प्रक्रिया है जो पुराने मुंजियों के जमाने में हुआ करती थी। अर्जुन सिंह जी, सिधिया जी और उसके बाद के तमाम मुंजियों के जमाने से रटा पिटा एक सेट उत्तर है और वही दे दिया करते हैं और इसी प्रकार का उत्तर आज भी आया है। मान्यवर, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के जो कर्मचारी-गण हैं, जो अध्यापक गण हैं, उनके संगठनों की जो मांग है, उसकी प्रति मैंने स्वयं आपके दफ्तर में पेश की थी। उसके बाद कुछ आपने इनशियेट किया, तब से गतिविधियाँ बढ़ी हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने केवल 26.5.98 को इनके प्रतिनिधियों से वार्ता की है, डिसकशन कुछ नहीं किया। यह जो उत्तर है, उनका स्वयं का है। क्या इसमें आप उनके अधिकारियों को पाबंद करेंगे कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनसे डिस्कशन करके, उनकी जो 14 सूची मांगें हैं, उन पर पूर्ण तरीके से एक-एक मांग पर विचार-विमर्श कर

विचार-विमर्श कर के निर्णय लेने की कृपा करेंगे। कृपया यह बताने का कष्ट करें?

डा० मुरली मनोहर जोशी: सभापति महोदय, यह निर्णय किया जा चुका है कि ज्वाइंट कनसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग वर्ष में दो बार हुआ करेगी। इसकी पहली मीटिंग जुलाई के महीने में होगी और अगली मीटिंग जनवरी के महीने में होगी। मैं समझता हूँ कि इन तमाम प्रश्नों पर ज्वाइंट कनसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग में बहुत गम्भीरता के साथ और पूरे खुले दिल के साथ विचार किया जाएगा।

श्री शिव चरण सिंह: मान्यवर, आपने निर्णय ले लिया, यह बहुत स्वागत योग्य है और इसका सारे संगठन स्वागत कर रहे हैं। लेकिन मीटिंग इसी प्रकार की न हो जिस प्रकार से ज्वाइंट सेक्रेटरी ने अभी यह मीटिंग की। मीटिंग रेगुलर होनी चाहिये और उसके मिनट्स रिकार्ड पर होने चाहिये और उनका दृढ़ता के साथ पालन होना चाहिये क्योंकि मिनिस्ट्रीज के अधिकारीगण का काम करने का तरीका बड़ा अजीब है। यह मंत्री-मण्डल स्तर पर... (व्यवधान) हां हां, क्या बुराई है? आप तो दूसरे देशों से सबक सीखते हैं। क्या हम प्रयत्न नहीं करें? हमें सुझाव देने चाहिये। इसीलिए मैं कह रहा हूँ।... (व्यवधान)

डा० मुरली मनोहर जोशी: माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं, बहुत स्वागत-योग्य हैं। मेरा विश्वास है कि ज्वाइंट कनसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग के निर्णय पूरी निष्ठा के साथ पालन किये जाएंगे और ज्वाइंट कनसल्टेटिव कमेटी की प्रक्रिया के बारे में यदि माननीय सदस्यों के कोई सुझाव हों तो उन्हें हम बहुत उन्मुक्तता से विचार करेंगे क्योंकि हम हर प्रश्न के ऊपर बहुत खुले दिल से, खुले मन से विचार करने के लिए तत्पर हैं। यह बात संगठनों को भी बता दी गई है और आपसे भी मेरा अनुरोध है कि इस बारे में अगर आपके सुझाव हों तो आप बिलकुल निःसंकोच हमें लिखें। हम उन पर पूरी गहराई के साथ, पूरी संजीदगी के साथ विचार करेंगे।

श्री गोविन्दराम मिरी: सभापति महोदय, जिन बातों की ओर माननीय शिव चरण सिंह जी ने ध्यान दिलाया है, उनसे सहमत होते हुए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह जो बातचीत हुई है, यह किस स्तर पर हुई है? जिस स्तर पर यह बातचीत हुई है, क्या उन्हें नीतिगत विषयों के ऊपर निर्णय लेने का अधिकार था? यह जो मूल प्रश्न है इसके भाग (घ) में यह पूछा गया है कि उसके क्या परिणाम निकले हैं, इसके बारे में आपका जवाब स्पष्ट नहीं है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जहां तक मेरी जानकारी है, यह वार्ता असफल रही है और जो शिक्षक हैं उनको

अनशन करने पर विवश होना पड़ा है। आज भी उनके संगठन के मुख्यालय पर क्रमिक अनशन जारी है। इस अनशन को समाप्त करने के लिए आप क्या ठोस कदम उठा रहे हैं? क्या आप द्विपक्षीय वार्ता शीघ्र बुलाने जा रहे हैं? समय समय पर जिन माननीय सदस्यों ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अनेक मामलों को उठाया है, क्या आप उनको भी इस वार्ता में सम्मिलित करेंगे?

डा० मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, जो प्रश्न माननीय सदस्य जी ने उठाया है, उसके सभी पहलुओं पर हम विचार कर रहे हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन में इस समय कमिशनर का पद भरे जाने की प्रक्रिया में है और जैसे ही प्रक्रिया की पूर्ति होती है, हम उन तमाम प्रश्नों के ऊपर पुनः विचार शुरू करेंगे और जब हमने ज्वाइंट कनसल्टेटिव कमेटी के लिए निश्चित किया है तो इसका अर्थ यही है कि वह बहुत स्तरीय वार्ता होगी और उसके निर्णय क्रियान्वित भी होंगे। यह प्रश्न किया गया है कि यह मीटिंग किस स्तर पर हुई थी। हमारे शिक्षा विभाग के जो अडिशनल सेक्रेटरी हैं, उनके साथ हुई थी और वह केन्द्रीय विद्यालय संगठन के उपाध्यक्ष भी हैं। इसलिए वह पूर्ण अधिकृत अधिकारी हैं। उनके साथ बातचीत हुई है, उनके साथ बैठ कर ही निर्णय होगा।

श्री राधवजी: माननीय सभापति महोदय, अभी तक तो केन्द्रीय विद्यालय संगठन का रवैया भ्रष्टाचार के प्रति उदासीन रहा है। यहां तक कि भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच करने के लिए एक कर्मचारी नेता ने शिकायत की थी। उनकी जांच करने के बजाय उसी को सेवानिवृत्त कर दिया गया और उसने आपके समक्ष रिब्यू के लिए एप्लीकेशन भी दी हुई है। माननीय मंत्री जी ने अभी जो बताया कि दो वर्ष में दो बार कमेटी की मीटिंग हुआ करेगी तो यह बहुत अच्छी बात है। इससे काफी समस्याओं का हल भी होगा। मैं माननीय मंत्री जी से दो प्रश्नों का उत्तर चार्ज-नम्बर एक कि जो भ्रष्टाचार की मांग करने वाले कर्मचारी को सेवानिवृत्त किया गया है उसकी रिब्यू एप्लीकेशन पर विचार करेंगे? और नम्बर दो, क्या कभी आवश्यकता पड़ी तो मंत्री स्तर पर भी कर्मचारियों के आमने-सामने बैठक करने की कोशिश करेंगे?

डा० मुरली मनोहर जोशी: जहां तक भ्रष्टाचार के मामलों का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि उनके पास ऐसे जितने भी मामले हैं वे उन्हें हमारे संज्ञान में लाएं, उनकी पूरी समीक्षा हम करेंगे। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि कर्मचारियों के साथ आमने-सामने बैठकर बातचीत करने की जरूरत है, हम खुले दिल से जब भी आवश्यकता होगी उनसे अवश्य बातचीत करेंगे। पर मुझे

विश्वास है कि उपाध्यक्ष के साथ भी जो उनकी बातचीत होगी वह संतोषप्रद होगी और वह उनका समाधान करेगी। अगर समाधान नहीं निकलेगा तो माननीय सदस्य मेरे संज्ञान में बात ला सकते हैं और हम संज्ञान में लाने के लिए हर संभव जनतांत्रिक उपाय का अवलम्बन करेंगे।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय: माननीय सभापति महोदय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षकों की ओर से बीच-बीच में अनेक मांगें यहां आती रही हैं और हम लोग विचार भी करते रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि यह प्रश्न आज भी सत्ता पक्ष की ओर से आया है। जब आप विपक्ष में थे तो हमेशा इन मांगों का पुरजोर समर्थन किया करते थे। अब जब आप स्वयं सत्ता में हैं तो क्या इन सब मांगों को जल्दी से जल्दी मान लेंगे, खास करके नवीं मांग को जो आवास की समस्या से संबंधित है? मैं व्यक्तिगत स्तर पर जानती हूँ कि इस देश में बहुत सारे केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षक आज भी स्टाफ क्वार्टर न पाने की स्थिति में शहरों में जो केन्द्रीय विद्यालय हैं उनके काफी दूर रहते हैं और उन्हें बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। आपने यहां लिखा है 9 नम्बर में—The demand is genuine. The formal approval is under process. यह कब तक अंडर प्रोसेस रहेगा और कब तक केन्द्रीय विद्यालय संगठन के जो शिक्षक हैं उनके लिए वह हाउस फार आल की जो पालिसी है वह जल्दी से जल्दी लागू होगी?

डा० मुरली मनोहर जोशी: देखिए, इनकी मांग थी— allotment of staff quarters as per the Central Government rules and as per the basic pay. हमने कहा है कि यह मांग बिल्कुल उचित है, जायज है और इसके लिए एप्रुवल की प्रक्रिया चल रही है। जैसे मैंने पहले भी इस सदन से निवेदन किया कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कमिश्नर के पद पर जो रिक्ति है, वह जैसे ही नियुक्त होंगे उसके पश्चात् इन सब चीजों पर और गंभीरतापूर्वक तथा त्वरित गति से विचार किया जाएगा। मैं आश्वासन दिलाता हूँ जब हमने इस पर लिखा ही है कि यह मांग जेनुइन है, मांग जायज है तो इसके ऊपर हम कदम भी उठाएंगे।

*45. [The questioner (Shri Rahas Bihari Barik) was absent. For answer, vide Col. 32 infra.]

गुजरात में पुलिस बल की तैनाती

*46. श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को 1979 के बाद रेल सेवाओं में राज्य पुलिस बल तैनात करने के लिए गुजरात सरकार को

भारी धनराशि अदा करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकार को इस धनराशि का भुगतान करने में अत्यधिक विलंब किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य सरकार को उक्त बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (घ) एक विवरण सभा हल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी नहीं। 1.4.1998 को बकाया राशि केवल 1.84 करोड़ रुपए थी।

(ख) और (ग) 1.4.1997 को गुजरात सरकार की बकाया राशि 11.12 करोड़ रुपए थी। राज्य सरकार के साथ बातचीत करके वर्ष 1997-98 में 9.28 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया था। 1.84 करोड़ रुपये की शेष राशि का भुगतान नहीं किया जा सका था क्योंकि गुजरात राज्य सरकार ने अभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों के साथ बिल नहीं भेजे हैं। ब्यौरा इस प्रकार है:

1986-87 0.49 करोड़ रुपये

1995-96 1.35 करोड़ रुपये

जोड़: 1.84 करोड़ रुपये

(घ) क्षेत्रीय रेलों को स्पष्ट रूप से अनुमेय सभी दायों का तत्काल भुगतान करने के स्थायी अनुदेश हैं।

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Sir, it has been admitted that there were outstanding amounts of Rs. 11.12 crores, out of which Rs. 9 crores were paid on 1st April, 1998. But, at the same time, I would like to inform you that the State Government is deploying its police officers to maintain law and order in the railway regularly. There has not been any increase in the staff. There is no upgradation of police stations. The outstanding amounts or the other expenses which are borne by the State Government are not paid regularly. Therefore, there exists corruption. Sir, non-payment of salary and other expenses regularly, invites corruption. With a view to curb corruption in the Police Department, who are seen publicly every now and then, I would like to know whether the Government proposes to pay the outstanding amounts regularly to the State Government or to make any other provision in the Railway Budget.